सूचना का अधिकार

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांकः 21/4/2017

संख्या आरटीआई/4979/2017-पीएमआर

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री सन्दीप पाटिल से प्राप्त दिनांक 10.4.2017 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 18.4.2017 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गया है।

(प्रवीन कुमार)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
e-mail: rti-pmo.applications@gov.in
☎: 2338 2590

सचिव, भारत सरकार
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (स्पीड पोस्ट द्वारा)

श्री सन्दीप पाटिल
म0नं0 41/7ए/3डी
गंगा विहार कालोनी
धाधूपुरा रोड, ताजगंज
आगरा, उत्तर प्रदेश-282006

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें।

4979/17 4979 20/4/17

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –6(1) के अर्न्तगत आवेदन पत्र का प्रारूप)

सेवा मे,

जन सूचना अधिकारी
संयुक्त सचिव,प्रधानमंत्री कार्यालय
साउथ ब्लाक,नई दिल्ली

18 APR 2017
DAK SECTION

आवेदनकर्ता का विवरण:

1. आवेदक का नाम : सन्दीप पाटिल
2. डाक का पता : म0न0 /41/7ए/3डी गंगा विहार कॉलोनी, धाधूपुरा रोड,तांजगंज,आगरा–282006 (उ0प्र0)
3. आवेदन की तिथि : 10/04/2017
4. कार्यालय का नाम जहॉ से सूचना मॉगी गयी :प्रधानमंत्री कार्यालय,नई दिल्ली

मॉगी गयी जानकारी का विवरण :

1. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयो,विभागो जैसे रेलवे,रक्षा,वित्त,डाक,स्वास्थ्य,स्वास्थ्य एंव अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोनस) संस्थानो में पिछले 10 वर्षो से वर्तमान वित्त वर्ष तक 5 प्रतिशत कोटे की बाध्यता के कारण कितने मृतको के आश्रितो के अनुकम्पा नियुक्तियो के मामले प्रतीक्षा सूची में है। कृपया मंत्रालयों/विभागो के क्रम में सयुक्त सूची प्रदान करे।

2. यदि किसी मंत्रालय/विभाग या संस्थान में पिछले 10 वर्षो से नए पदो पर यदि भर्तियॉ नही हुई हो तो यदि वर्तमान वित्त वर्ष में (10 वर्ष बाद) 20 पद भरे गए हो तो मृतक आश्रित कोटे से की जाने वाली नियुक्ति का प्रथम हकदार कौन होगा (10 वर्ष पहले मृतक कर्मचारी के आश्रित या वर्तमान वित्त वर्ष मे मृतक कर्मचारी के आश्रित) साथ ही कारण भी स्पष्ट करे।

3. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयो,विभागो जैसे रेलवे,रक्षा,वित्त,डाक,स्वास्थ्य,स्वास्थ्य एंव अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानो में वर्तमान वित्त वर्ष तक रिक्त पड़े वर्ग ए,बी,सी व डी के पदो की क्रमवार सूची प्रदान करें।

4. भारत सरकार द्वारा मृतक आश्रित अनुकम्पा नियुक्ति हेतु 5 प्रतिशत कोटे की बाध्यता को समाप्त करने या रिक्त पदो को भरते समय मृतक कर्मचारियो के आश्रितो हेतु पद रिजर्व करने जैसी व्यवस्था पर विचार चल रहा है।(क्या इस विषय में सभी मृतको के आश्रितो पर नियुक्ति हेतु समान अधिकार का नियम लागू नही होता)

5. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयो,विभागो जैसे रेलवे,रक्षा,वित्त,डाक,स्वास्थ्य,स्वास्थ्य एंव अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानो में पेश्नरों व फैमिली पेश्नरो को ना तो पहचान पत्र दिए गए है और न ही छोटे शहरो मे रहने के कारण उन्हे सीजीएचएस कार्ड की सुविधा ही मिल पाती है। इस बाबत् भारत सरकार द्वारा क्या दिशा–निर्देश जारी किये गए है कृपया उक्त की सत्यापित प्रति प्रदान करें।

6. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयो,विभागो जैसे रेलवे,रक्षा,वित्त,डाक,स्वास्थ्य,स्वास्थ्य एंव अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानो में आर0टी0आई0 का जवाब निश्चित समयावधि में नही दिया जा रहा है इस बाबत् क्या दिशा निदेश दिए गऐ है तथा क्या इस प्रकार के मामलो मे [redacted] किसी प्रकार के आर्थिक दण्ड का भी प्रावधान है।

7. भारत सरकार के अधीन सभी मंत्रालयो,विभागो जैसे रेलवे,रक्षा,वित्त,डाक,स्वास्थ्य,स्वास्थ्य एंव अनुसंधान तथा अधीन सभी स्वायत्त (ऑटोनोमस) संस्थानो में सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अधिकारीयों/कर्मचारियों को पुनः संविदा या अन्य प्रकार से कार्य पर रखा जा रहा है। क्यों कृपया कारण स्पष्ट करें।

5. आवेदन के साथ अदा किया जाने वाला शुल्क का विवरण : 34F755734 (10रू.)

आवेदक के हस्ताक्षर

URGENT
RTI ACT

4606835 34F755734 Rs 10/- 61248 18/4/17 23/4/17

PORTAL
Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS)

Government of India

Brought to you by **Department of Administrative Reforms & Public Grievances**

Home

Lodge a Grievance **Lodge Reminder/Clarification** **View Status** **Change Password** **Forgot Password**

Grievance Status

Print || Logout

Status as on 25 Mar 2017

Registration Number	**: DOPAT/E/2017/04265**
Name Of Complainant	: SANDEEP PATIL
Date of Receipt	: 26 Jan 2017
Received by	: Department of Personnel and Training
Forwarded to	: ESTABLISHMENT DIVISION 1
Contact Address	: NORTH BLOCK DELHI 110001
Contact Number	: 23092479
Grievance Description	: Sir, Kindly please reply me how many compassionate appointment cases are in waiting list in all departments like railway,defense,finance,postal,health,health and research and all autonomous bodies of central government from last 10 years and what is the rule for current financial year compassionate appointment case and for last 10 year before case.
Current Status	**: CASE CLOSED**
Date of Action	: 24 Mar 2017
Details	: Reply as attached.
Attachment	: open

Please Give Your Valuable Feedback

(•) Excellent ( ) Very Good ( ) Good ( ) Average ( ) Poor

Excellent

Enter Your Comments

Submit

©2015 Designed, Developed and hosted by **National Informatics Centre** .

D. No. ________ /Estt.(D)/17

F.No.22034/2/2017-Estt-(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
*****

North Block, New Delhi
Dated: 24.03.2017

To

Shri Sandeep Patil
H.No. 41/7A/3D Ganga Vihar Colony
Dhandhupura Road
Tajganj-282006
Uttar Pradesh

Subject: Representation/Public Grievance petition regarding compassionate appointment- Case of Shri Sandeep Patil.

Sir,

I am directed to refer to your letter dated 26.01.2017 on the subject mentioned above and to say that the data for compassionate appointment to central government posts are not centrally maintained by this department.

This Department as nodal Department frames/lays down guidelines/instructions on personnel matters like Promotion/Seniority/Compassionate Appointments/ACP etc. These are implemented by various Ministries/Departments with whom the facts of the case/details of officers are available.

Yours faithfully,

(S.K. Prasad)
Under Secretary to the Government of India

Status as on 12 Apr 2017

Registration Number	: DOPAT/E/2017/06166
Name Of Complainant	: SANDEEP PATIL
Date of Receipt	: 25 Mar 2017
Received by	: Department of Personnel and Training
Forwarded to	: ESTABLISHMENT DIVISION 1
Contact Address	: NORTH BLOCK DELHI 110001
Contact Number	: 23092479
Grievance Description	: Dear Sir, As you mention in your last grievance petition dated 26-01-2017 that the data for compassionate appointment of all central government department and its autonomous bodies are not available at department of personnel and training office then please tell me who is the concern authority for that. Kindly please tell me about the concern authority or give me the consolidated data of relative matter.
Current Status	: CASE CLOSED
Your Feedback	: Good
Date of Action	: 11 Apr 2017
Details	: reply as per attachments.
Attachment	: open

DARPG/E/2017/08256
DOPAT/E/2017/06166

F.No.22034/2/2017-Estt-(D)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
*****

North Block, New Delhi
Dated: 10.04.2017

To

Shri Sandeep Patil,
H.No. 41/7A/3D Ganga Vihar Colony,
Dhandhupura Road,
Tajganj-282006
Uttar Pradesh

Subject: Representation/Public Grievance petition regarding compassionate appointment- Case of Shri Sandeep Patil.

Sir,

With reference your public Grievance petition (Registration no. DARPG/E/2017/08256), dt. 06.04.2017 & (Registration no. DOPAT/E/2017/06166), dt. 25.03.2017 on the subject mentioned above, it may be noted that Compassionate appointment are considered by the Ministries/Departments against the 5% of direct recruitment vacancies in Gr. 'C' in their Offices. Such data therefore would be available in each of the Ministries/Departments. This Department as nodal Department frames polices/instructions on the subject of Promotion/MACP/Compassionate appointment etc which are implemented by the individual Ministries/Departments. Hence, These are not centrally maintained.

2. In addition it may be mentioned that as per the provisions of the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, the instructions issued by this Department are applicable only to Central Government Civilian Employees and posts. These are suo moto not applicable to employees of State Government, Corporations, Autonomous Bodies, PSUs, Trusts or Banks which are governed by regulations/instructions issued by concerned administrative Ministry/Department under statute/Act of the Parliament by which they are created or came into existence.

Yours faithfully,

(S.K. Prasad)
Under Secretary to the Government of India
Tel no. 23040339

माननीय प्रधानमंत्री जी,

18 APR 2017
DAK SECTION

महोदय मैं पिछले 10 वर्षों से कई बार प्रधानमंत्री कार्यालय व डी.ओ.पी.टी. को केन्द्र सरकार के अधीन सभी मंत्रालयों/विभागों व ऑटोनोमस (स्वायत्त) बॉडिस में मृतकों के आश्रितों का विवरण व उनकी संख्या के विषय में जानकारी माँगता रहा हूँ।

परन्तु हर बार नकारात्मक उत्तर मुझे दिया गया। अतः कृपया अभी ताजा मामले में डी.ओ.पी.टी. द्वारा दिये गए उत्तर पर विशेष तौर पर गौर करें तथा क्या अब समय नहीं आ गया कि सभी मृतकों के आश्रितों को समान रूप से मृतक आश्रित कोटे से की जाने वाली नियुक्ति का अधिकार मिले।

भवदीय
Patil
(सन्दीप पाटिल)